

**न्यायालय:-सुश्री सपना शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, तहसील बुदनी,
जिला सीहोर म.प्र.**

FILLING NO. SUM 357/2026
C.N.R. NO. M.P.3705000498/2026
REGISTRATION NO. SUM/64/2026

म.प्र.राज्य आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त बुधनी

.....अभियोगी

विरुद्ध

रविराज आ. रामकिशन उईके,
आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम नकटीतलाई,
थाना रेहटी जिला सीहोर म.प्र.

.....अभियुक्त

:: निर्णय ::

{आज दिनांक 14.03.2026 को घोषित किया गया}

01. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के लिए म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा **34(1)** में **500/- रुपये अक्षरी पांच सौ रुपये** के जुर्माने एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया जाता है। जुर्माना अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 10 दिवस भुगताया जावे।

03. जप्तशुदा संपत्ति **10 पाव देशी मदिरा प्लेन 1.8 लीटर मूल्यहीन होने से नष्ट** की जावे।

तहसील बुदनी जिला सीहोर
दिनांक 14.03.2026

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सुश्री सपना शिवहरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बुदनी, जिला सीहोर, (म.प्र.)